

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (4) सांख्यिकी/आकाशि/आयो/2018-19/570

दिनांक : 18.12.2020


प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
समस्त राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना भिजवाने बाबत।
सन्दर्भ :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक: 549 दिनांक 09 अक्टूबर 2020 व 563
दिनांक 23.11.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रतिवर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2020-21 की आपके महाविद्यालय से संबंधित सांख्यिकी सूचनाएं आयुक्तालय को दिनांक 15.12.2020 तक प्रेषित किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, परन्तु आदिनांक तक अधिकांश महाविद्यालयों से संबंधित सूचना अप्राप्त है। अतः पूर्व प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की महाविद्यालय से संबंधित सांख्यिकी सूचनाएं आयुक्तालय को दिनांक 31.12.2020 तक डाक द्वारा या व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक नही भिजवाने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए विभाग द्वारा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


समस्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूर्वार्द्ध में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरन्त बाद स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की छात्र संख्या 10 जनवरी 2021 तक अत्यावश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्तानुसार


(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 18.12.2020

क्रमांक : एफ 15 (4) सांख्यिकी/आकाशि/आयो/2018-19/571-74
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त निजी महाविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना ऑन लाईन एन.ओ.सी. पोर्टल (NOC Portal) पर प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त प्राचार्य, निजी महाविद्यालय, राजस्थान- कृपया ऑन लाईन Online NOC Portal खुलने पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा सांख्यिकी सूचना निश्चित समयावधि में आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (आयोजना)

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (4) सांख्यिकी/आकाशि/आयो/2018-19/549

दिनांक : 09.10.2020

प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय,


समस्त राजकीय विधि महाविद्यालय,

राजस्थान।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना भिजवाने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रतिवर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2020-21 की आपके महाविद्यालय से संबंधित सांख्यिकी सूचनाएं आयुक्तालय को निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार भिजवाई जाना सुनिश्चित करें-


1. महाविद्यालयों द्वारा सांख्यिकी सूचना भिजवाने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है तथा यह आयुक्तालय की वेबसाईट(<https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/form.php>)के 'Forms' मेन्यू पर भी डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।
 2. डाउनलोड की गई सांख्यिकी पुस्तिका की pdf फाईल को A-4 साईज के पृष्ठ पर प्रिन्ट करवायें तथा महाविद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाएं भरकर स्पाईरल बाइन्ड/स्पाईको बाइन्ड करवाकर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 20.11.2020 तक डाक द्वारा या व्यक्तिशः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 3. सांख्यिकी सूचना भरने से पूर्व संलग्न निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
 4. आप द्वारा उपलब्ध करवायें गये उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़े विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भिजवाये जाते हैं। अतः महाविद्यालय से संबंधित सांख्यिकी सूचना भिजवाये जाने से पूर्व प्राचार्य स्वयं के स्तर पर जांच कर प्रेषित करें। अपूर्ण या गलत सूचना भिजवाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- संलग्न - उपरोक्तानुसार


(संदेश नायक)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा;
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 09.10.2020

क्रमांक : एफ 15 (4) सांख्यिकी/आकाशि/आयो/2018-19/550-54


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त निजी महाविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना ऑन लाईन एन.ओ.सी. पोर्टल (NOC Portal) पर प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त प्राचार्य, निजी महाविद्यालय, राजस्थान- कृपया ऑन लाईन Online NOC Portal खुलने पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सांख्यिकी सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि है कि अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा सांख्यिकी सूचना निश्चित समयावधि में आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (आयोजना)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
सांख्यिकी सूचना भरने हेतु दिशा-निर्देश

1. महाविद्यालय का पूरा नाम तथा पंचायत समिति, तहसील, उपखण्ड, विधानसभा क्षेत्र, जिला व दूरभाष सहित पूर्ण पता अंकित करें।
2. महाविद्यालय का स्थापना वर्ष जैसे कि इन्टरमिडियट से शुरू हुआ है तो वह पहले अंकित करें तथा स्नातक व स्नातकोत्तर की स्थापना कब हुई उसकी सूचना भी अंकित करें।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित रूप से संचालित संकायों के विषयों का पूर्ण विवरण वर्ष सहित अंकित करना सुनिश्चित करें।
4. सांख्यिकी पुस्तिका के सभी पृष्ठों में स्पष्ट अंकन करना सुनिश्चित करें। यदि सूचना "शून्य" है तो "शून्य" अंकित करें किसी भी पृष्ठ को रिक्त न छोड़ें।
5. स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संचालित विषयों की सूचना निर्धारित स्थान पर ही अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कृपया विशेष ध्यान रखें कि सांख्यिकी पुस्तिका आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 20.11.2020 तक आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।



(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)